संख्या-502/2021/आई/105865/41-1002(001)/8/2021-106(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021**

विषय:- जनपद फर्रूखाबाद में स्थित बौद्ध पर्यटन स्थल संकिसा के पर्यटन विकास व अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की प्रायोजना हेतु आवश्यक भूमि क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2424/6-1-1/(1262)/2020-21 दिनांक 31 अगस्त, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फर्रूखाबाद में स्थित बौद्ध पर्यटन स्थल संकिसा के पर्यटन विकास व अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की प्रायोजना हेतु आवश्यक भूमि क्रय किये जाने के लिए हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-44 के पूँजी लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45-विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय-60-भूमि क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ में से रू0 9,02,19,860.00 (रूपये नौ करोड़ दो लाख उन्नीस हजार आठ सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 45,00,000.00 लाख (रूपये पैंतालीस लाख मात्र) को निम्नवत् शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी फर्रूखाबाद के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किस अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा।

(6) भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण करने विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 10 मार्च 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।

3- प्रस्तर-2 में परियोजना हेतु प्रदान की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45-विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय-60-भूमि क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-753/दस-2021 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
4- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- उप निदेशक, पर्यटन, मु0 उ0प्र0 लखनऊ।
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ एवं कानपुर मण्डल, लखनऊ।
7- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।